



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-07 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्री अरविन्द नाथ तिवारी, ग्राम-बगहा-1(मेन रोड पं. गोपी नाथ आर्केड), पोस्ट-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
10.04.2023	<p>श्री अरविन्द नाथ तिवारी, ग्राम-बगहा-1(मेन रोड पं. गोपी नाथ आर्केड), पोस्ट-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-04.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक-10.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का Non Judicial Stamp No.-SUBIN-BRBRTNCCB0990888778778470V दिनांक-23.03.2023 संलग्न है।</p> <p>अपीलार्थी श्री प्रमोद तिवारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-06.02.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक- 06.02.2023 की छाया-प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री अरविन्द नाथ तिवारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>